



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)

E mail: rj-slsa@nic.in, rlsajp@gmail.com

website: www.rlsa.gov.in


क्रमांक : निविदा सूचना सं. 37/2019-20/

दिनांक 24/10/19

खुली निविदा

प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2020 तक आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में भोजन व जल-पान व्यवस्था हेतु प्रतिष्ठित कैटर/रेस्टोरेंट/हलवाईयों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसमें प्रारंभिक गतिविधि दिनांक 16 से 18 नवम्बर, 2019 के मध्य आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, उसके पश्चात् विभिन्न अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। कार्य की अनुमानित लागत 05 लाख रूपए, धरोहर राशि 10,000/- रूपए निविदा प्रपत्र शुल्क 100/- रूपए है। निविदा कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि 07.11.2019 दोपहर 01:00 बजे तक है, उसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 07.11.2019 को सायं 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में खोली जावेगी।

निर्धारित निविदा प्रपत्र (विस्तृत विवरण सहित) उपरोक्त अवधि में किसी भी कार्य दिवस में नगद राशि/डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र, मीनू व शर्तें संस्थान की वेब साईट WWW.rlsa.gov.in पर उपलब्ध है।


निदेशक

निविदा/संविदा की शर्तें—

नोट— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा/अनुबंध के क्रम में की जाने वाली क्रय/सेवा व सभी आपूर्ति पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2003 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, प्रावधान प्रभावी होंगे।

यह प्रपत्र अनुबंध का हिस्सा होगा।

1. निविदादाताओं को निविदा सूचना, निविदा फॉर्म में दिए गए निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मुहर बंद लिफाफे में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना चाहिए।
2. निविदाएं संबंधित फर्म/केटर्स/रेस्टोरेंट/हलवाई/ठेकेदार द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर. 11 में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

(GF&AR Pt.II para 48 (VII) परिशिष्ट—अ)

3. खाद्य सामग्री की निविदा के साथ नियमानुसार अमानत राशि रूपए 10,000/— का बैंड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur के नाम से संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
4. निविदादाता को निविदा के साथ कार्यालय पते के विवरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक होगा।
5. आदेशित सामग्री/सेवा की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि हो सकती है जिसकी व्यवस्था निविदादाता को समायोजित करनी होगी तथा इस संबंध में समस्त अधिकार Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur के पास सुरक्षित रहेंगे।
6. निविदा के साथ संलग्न सूची में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही देनी होगी, एक से अधिक दरें देने पर संबंधित आईटम की दर अमान्य होगी।
7. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जी.एस.टी. व अन्य समस्त कर सम्मिलित होंगे।
8. निविदा प्रारूप स्याही से या टंकण से भरा जावेगा। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता, निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण-पत्र में हस्ताक्षर करेगा।
9. दरें नियत स्थान पर शब्दों व अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटि एवं ऊपरी लेखन (Over Writing) नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो

वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

10. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में, अंकों एवं शब्दों में अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी, उन पर विचार किया जायेगा।
11. निविदा में वर्णित सामग्री की सभी इकाई की दरों के योग के आधार पर एक ही फर्म/कैटर्स को दिया जाएगा।
12. निविदाएं उनके खोले जाने की तिथि से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए वैध होगी, परन्तु उक्त स्वीकृत दरें इसके पश्चात तीन माह यानि 30.06.2020 तक बढ़ाई जा सकती है।
13. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप-भाडे (सब-लेट) पर नहीं देगा तथा निविदा जिस नाम से बेची जायेगी उसी से ही स्वीकार की जावेगी।
14. (अ) संयोजक यदि निविदाकारों की दरों/सैम्पल से संतुष्ट नहीं हो तो उन्हें अन्य फर्मों/कैटर्स से बातचीत करने का अधिकार है तथा किसी/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।
(ब) सप्लाई की गयी वस्तुएं/सेवा निविदा के निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क एवं स्पेशिफिकेशन के पूर्णरूप होगी तथा निर्धारित उचित गुणवत्ता एवं मेन्यू के अनुरूप होगी जिसका निरीक्षण सामग्री प्राप्त होने के समय किया जाएगा।
15. सप्लाई/तैयार सामान जब भी प्राप्त किया जाएगा, कि वे निविदा स्पेशिफिकेशन के अनुरूप हैं।
16. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान, जो नाश्ता/खाना/सेवा (**Services or food quality**) निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाई जाएगी तो उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर रद्द कर दिया जायेगा तथा निविदादाता को इसी खाद्य सामग्रियों को नियत/निर्धारित समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा, परन्तु संतोषजनक सेवा नहीं होने तक भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।
17. अनुबंध /निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की अवधि में यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध में **Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur** का निर्णय अंतिम होगा, जो निविदादाता को मान्य होगा।
18. निविदादाता खाने-पीने की उचित व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के मामले में निविदादाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जावेगी।

19. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति/सेवा विभागीय आवश्यकता/मांग के अनुरूप आदेश के अनुसार आदेशित अवधि के अंदर की जावेगी।
20. आपूर्तिकर्ता को बुफे के कार्यादेश में खाद्य सामग्री एवं व्यवस्था के साथ कैंटरिंग, वेटर, फर्नीचर एवं अन्य खाना तैयार करने की जरूरी सामग्री की व्यवस्था/सर्विंग स्वयं को करनी होगी तथा इनके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
21. मिनरल वॉटर की सप्लाई या वॉटर केम्पर की सप्लाई (जो भी हो) पर वास्तविक कीमत का अलग से भुगतान किया जाएगा।
22. सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकॉल से बने उत्पादों का उपयोग नहीं किया जावेगा।
23. धरोहर/अमानत राशि का समपहरण: अमानत/धरोहर राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जाएगा—

- जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है अथवा रूपान्तरण करता है।
- जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
- जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।
- निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर।
- निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण सप्लाई/सेवा/व्यवस्था संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहने पर।
- यदि निविदादाता इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाले के लिए निहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

24. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:—

- सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के दो दिवस में नाश्ता व खाना देने व व्यवस्था करने के लिए रूपए 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
 - स्वीकृत निविदादाता को, जिन नाश्ता व खाना के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं उनके निविदा मूल्य की राशि के 5 प्रतिशत प्रतिभूति (Security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जमा करना आवश्यक होगा।
 - बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में प्राप्त प्रतिभूति राशि पर Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
25. परिनिर्धारित क्षति (पैनल्टी), कम प्रदाय, टूट-फूट रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों से रोकी जाएगी। कम सप्लाई, टूट-फूट रद्द किए गए मालों

की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (पैनल्टी) के साथ वसूली, उसकी देय राशि, क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।

26. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा—

- यदि भागीदारी फर्म हो तो पार्टनरशिप डीड की एक अभिप्रमाणित प्रति।
- यदि भागीदारी फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ग सहित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।
- एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जरी किया गया प्रमाण-पत्र।
- जी.एस.टी. एवं आयकर से संबंधित अंतिम विवरणिका/दस्तावेज।

27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों में उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न है, तो Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur का निर्णय निविदादाता को मानना होगा।

28. भुगतान—

- राशि का भुगतान दिए गए आदेशों के अनुरूप नाश्ता व खाना एवं सेवा पूर्ण होने पर बिल/वाउचर प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा।
- नियमानुसार देय भुगतान के स्रोत पर आय कर की कटौती/जी.एस.टी. की कटौती की जाएगी तथा इस हेतु निविदादाता के पैन व जी.एस.टी. नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय, निविदा दरों के अनुसार सम्मिलित होंगे।

29. समान विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा या निविदादाता द्वारा जयपुर स्थित न्यायालय में पेश किया जायेगा।

30. निविदा गत तीन वर्षों में ब्लेक लिस्ट/सप्लाइ में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र रूपए 50/- के स्टाम्प पेपर पर फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

31. निविदा जमा एवं खोलने के दिन अवकाश/कार्यालय बंद होने पर उक्त कार्य पूर्व निर्धारित समय पर अगले कार्य दिवस में सम्पन्न होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है, जो हमें स्वीकार्य हैं, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

संलग्न- सामान की सूची।

अमानत/धरोहर राशि रु.....

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या.....दिनांक.....

बैंक का नाम.....

हस्ताक्षर निविदाकार

फर्म का नाम.....

पूर्ण पता.....

फोन/मो0न.....

पैन नम्बर.....



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)

E mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक

दिनांक

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विवरण

1. निविदा शुल्क जमा कराए जाने का विवरण क्रमांक.....

दिनांक..... राशि.....

1	निविदादाता फर्म/संस्था का नाम	
2	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता	
3	दूरभाष: कार्यालय निवास मोबाईल ई-मेल	
4	फर्म मालिकाना है या साझेदारी या पंजीकृत संस्था (संलग्न H)	
5	फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता	
6	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता (ब) किस हैसियत (यथा मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किए हैं? (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया है?	नाम- पता- मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/ सचिव हाँ/ नहीं?
7	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	मोबाईल नं० दूरभाष नं० पता-
8	अनुभव का विवरण (क) कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें संस्थान का नाम, अवधि का स्पष्ट विवरण हो	संलग्न है/संलग्न नहीं है।
9	संलग्न अमानत राशि का विवरण	जमा करा दी गई है/नहीं करई है। जमा कराने का माध्यम- बैंकर चैक संख्या..... /- नकद रसीद संख्या-.....

10	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नहीं है। इसका शपथ पत्र 10 रूपए के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें। (संलग्न-G)	संलग्न है/संलग्न नहीं है।
11	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ वैध फूड लाइसेन्स (अनुज्ञापत्र)	संलग्न है/संलग्न नहीं है।
12	पैन कार्ड की फोटो कॉपी	संलग्न है/संलग्न नहीं है।
13	सर्विस टेक्स नं./टिन नं./जी.एस.टी. नम्बर	संलग्न है/संलग्न नहीं है।

उपर्युक्त जानकारियाँ सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियाँ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने क्रमांक 5 से 13 तक संबंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय स्टाम्प
नाम व पता मय दूरभाष नम्बर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)

E mail: rj-slsa@nic.in, rsisajp@gmail.com website: www.rlsa.gov.in

भोजन मीनू की सूची

पैकड फूड

	वर्ग-ए	वर्ग-बी
नाश्ता	केला-01 बिस्कुट कीमत 5 रु (पारले/ब्रिटेनिया/सनफीस्ट) समोसा/कचोरी	
चाय/कॉफी	चाय/कॉफी (प्रतिभागियों की संख्या 40 से 50 होने पर) नोट- यदि चाय/कॉफी के साथ बिस्कुट या अन्य कोई सामग्री सर्व करवाए जाते हैं तो वास्तविक लागत ही देय होगी।	
दोपहर का खाना	04 तवा चपाती या 02 परांठे राईस (जीरा या वेज) दाल मखानी रायता सीजनल सब्जी कढ़ाई पनीर मिठाई (प्रीमियम) पापड सलाद, अचार।	06 तवा चपाती या 8 पूड़ी दाल मखानी रायता सीजनल सब्जी मिठाई सलाद-प्याज, अचार।
रात्रि का खाना	04 तवा चपाती या 02 परांठे राईस (जीरा या वेज) दाल मखानी सीजनल सब्जी शाही पनीर मिठाई (प्रीमियम) पापड सलाद, अचार।	06 तवा चपाती या 8 पूड़ी दाल पनीर की सब्जी सीजनल सब्जी मिठाई सलाद-(कम से कम प्याज, खीरा) अचार।

बुफे खाना (वांछित स्थान-जयपुर)
(खाना टेबल पर फ्रिल कवर लगाकर सज्जित किया जाएगा)

नाश्ता	चाय / कॉफी दूध-कॉर्नफ्लेक्स पोहा सेण्डविच (वेज) ब्रेड-बटर-जैम / टोस्ट फ्रूट (पपीता व केला) केला आलू की सब्जी-पूडी या छोले-भटूरे (सादा / मसाला)
वकिंग लन्च	सूप (टॉमेटो) पनीर की सब्जी (कढ़ाई पनीरयाशाही पनीर) सीजनल वेज दाल रायता चपाती (तवा / तन्दूरी / लच्छा पराठा) राईस (जीरा / प्लेन) पापड मिठाई (प्रीमियम) सलाद-प्याज, टमाटर, खीरा, नीम्बू, मिर्च। अचार
डिनर	सूप (टॉमेटो या चाइनीज) स्टार्टर-2 पनीर की सब्जी (बटर पनीर / टिक्का मसाला / कढ़ाई पनीर / पनीर लबाबदार) दाल मखानी / दाल फ्राई सीजनल वेज रायता (वेज / बूंदी) सलाद-प्याज, टमाटर, खीरा, नीम्बू, मिर्च। आईस क्रीम, मिठाई-1 (प्रीमियम)
हाई टी	चाय / कॉफी मिठाई (प्रीमियम) वेफर्स समोसा / कचोरी / ब्रेड पकोडा बिस्कुट (उच्च गुणवत्ता नमकीन व मीठा-बेकरी)
पानी	20 लीटर कैम्पर Bottle 1000 ML/500 ML (वास्तविक मूल्य देय होगा)